By Speed Post

सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. ASK/9/2017/STGDH/ATOTH/RU-I

Date: 09/10/2017

To

The Medical Superintendent,
Acharya Shree Bikshu Hospital,
Govt. of Delhi,
Moti Nagar, West Delhi,
New Delhi – 110015.

Sub: Representation dated 06/07/2017 received from Ms. Alma Suchita Kujur, Sister (Nursing), Acharya Shree Bikshu Hospital regarding caste abuse and harassment.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the minutes of Sitting held in the National Commission for Scheduled Tribes on 01/09/2017 on the above mentioned subject for necessary action. Action Taken Report in this regard may be furnished to the Commission at the earliest.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director

Copy to:

Ms. Alma Suchita Kujur,
Sister (Nursing),
Acharya Shree Bikshu Hospital,
Moti Nagar, West Delhi,
New Delhi – 110015.

Copy for information to:

SSA NIC (for hosting on Commission's website)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- ASK/9/2017/STGDH/ATOTH/RU-I)

आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल, मोती नगर, नई दिल्ली मे सहकर्मियों द्वारा जातिसूचक अपमानजनक टिप्पणी और परेशान किए जाने के बारे मे श्रीमती अल्मा सुचिता कुजुर, सिस्टर नर्स, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल, मोती नगर, नई दिल्ली के अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 01.09.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि	:	01.09.2017
बैठक में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट 'क'

---

1. आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल, मोती नगर, नई दिल्ली मे सहकर्मियों द्वारा जातिसूचक अपमानजनक टिप्पणी और परेशान किए जाने के बारे मे श्रीमती अल्मा सुचिता कुजुर, सिस्टर नर्स ने दिनांक 06.07.2017 को आयोग मे अभ्यावेदन दिया था।
2. अभ्यावेदन मे बताया गया है कि, अभ्यावेदक आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल मे सिस्टर नर्स पद पर कार्यरत हैं, उनके कनिष्ठ सहकर्मी श्री रोशन लाल ने उनके साथ कार्य के दौरान उनके वार्ड मे सबके सामने दुर्व्यवहार किया और जातिसूचक अपमानजनक टिप्पणी की। अभ्यावेदक ने इसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन से की जिस पर मेडिकल सुप्रीटेंडेंट ने एक जांच कमिटी गठित कर जांच की। अभ्यावेदक की शिकायत है कि जांच कमिटी ने पक्षपात किया और उनके कनिष्ठ सहकर्मी श्री रोशन लाल का बचाव किया। अभ्यावेदक का कहना है कि अभी भी उन्हे अपमानित किया जा रहा है और उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अस्पताल प्रशासन उनकी मदद नही कर रहा और कनिष्ठ सहकर्मी श्री रोशन लाल का बचाव कर रहा है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. आयोग ने अभ्यावेदन पर मेडिकल सुप्रीटेंडेंट, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल को दिनांक 11.07.2017 को नोटिस भेजा तथा सात दिन के अंदर सभी तथ्य तथा आरोपों/मामलों पर की गई कार्यवाई से संबन्धित सूचना मांगी। मेडिकल सुप्रीटेंडेंट, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल ने दिनांक 31.07.2017 को पत्र प्रेषित कर मामले मे की गई कार्यवाई से अवगत कराया कि अस्पताल प्रशासन ने एक कमिटी का गठन किया है, जिसमे चार सदस्य हैं जिनमे एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है। कमिटी ने मामले की जांच के पश्चात यह पाया कि दोनों पक्षों श्रीमती अल्मा सुचिता कुजूर और श्री रोशन लाल के बीच वार्ड v मे नियमित जांच कार्य के दौरान मे विवाद और कहासुनी हुई है। किन्तु कमिटी को सभी तथ्य को देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी तरह का जातिसूचक अपमानजनक टिप्पणी नही की गई है। फिर भी कमिटी ने श्री रोशन लाल को माफी मांगने के लिए कहा और सीनियर नर्सिंग सुप्रीटेंडेंट ने एक चेतावनी पत्र भी श्री रोशन लाल को जारी किया। साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाई भी शुरू की गई।

4. श्रीमती अल्मा कुजूर ने पुनः आयोग को खंडन पत्र भेजा कि जांच कमिटी ने पक्षपात किया है और उन्हे न्याय नही मिला है। आयोग ने अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात मेडिकल सुप्रीटेंडेंट, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल को दिनांक 31.08.2017 को नोटिस जारी कर बैठक के लिए दिनांक 01.09.2017 को 14:00 बजे आयोग मे बुलाया।

5. दिनांक 01.09.2017 को आयोग मे मेडिकल सुप्रीटेंडेंट, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल उपस्थित हुये। आयोग ने जानना चाहा कि मामले मे अस्पताल प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है। मेडिकल सुप्रीटेंडेंट, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल ने आयोग को अवगत कराया कि मामले पर त्वरित कार्यवाही करते हुये अस्पताल प्रशासन ने इसकी जांच के लिए एक कमिटी का गठन किया, जिसमे चार सदस्य थे, इनमे एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य थे। कमिटी ने मामले की जांच के पश्चात यह पाया कि दोनों पक्षों श्रीमती अल्मा सुचिता कुजूर और श्री रोशन लाल के बीच वार्ड v मे नियमित जांच कार्य के दौरान मे विवाद और कहासुनी हुई थी। किन्तु कमिटी को सभी तथ्य को देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी तरह का जातिसूचक अपमानजनक टिप्पणी नही की गई है। इसके बावजूद, कमिटी ने श्री रोशन लाल को माफी मांगने के लिए कहा और सीनियर नर्सिंग सुप्रीटेंडेंट ने एक चेतावनी पत्र

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भी श्री रोशन लाल को जारी किया। साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाई भी शुरू की गई। इस कार्यवाही के तहत श्री रोशन लाल का तबादला अन्य वार्ड मे कर दिया गया, उनकी सर्विस बुक मे इसे अंकित किया गया और उन्हे चेतावनी पत्र भी दिया गया।

6. आयोग ने अस्पताल प्रशासन को सलाह दी कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृति न हो इसकी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। साथ ही अस्पताल का वातावरण सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्ण रहे इसके लिए उचित कदम उठाए जाएँ।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- ASK/9/2017/STGDH/ATOTH/RU-I)

आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल, मोती नगर, नई दिल्ली मे सहकर्मियों द्वारा जातिसूचक अपमानजनक टिप्पणी और परेशान किए जाने के बारे मे श्रीमती अल्मा सुचिता कुजुर, सिस्टर नर्स, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल, मोती नगर, नई दिल्ली के अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 01.09.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुइया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्रीमती के॰ डी॰ बंसोर, निदेशक
3. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक
4. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
5. श्री हरिराम मीना, वरिष्ठ अन्वेषक

दिल्ली सरकार के अधिकारी

1. डॉ. भास्कर वर्मा, मेडिकल सुप्रीटेंडेंट, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल, मोती नगर, नई दिल्ली
2. डॉ. बी. प्रसाद, मेडिकल सुप्रीटेंडेंट (एमसीएच), आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल, मोती नगर, नई दिल्ली